

(67)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 478-1/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 11.01.2016

पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 374/अ-21/2013-14

सुनील कुमार गौड पुत्र श्री चैन सिंह गौड
निवासी-बापूनगर रांझी, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरुद्ध

1. रजनीत जैन पुत्र श्री दयाचंद जैन
निवासी-957 नेपियर टाउन तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन

-- अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदक
श्री वी.एन. त्यागी, सूची अभिभाषक

आदेश

(आज दिनांक 16./02/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 374/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम अमझार न.ब. 1 प.ह.न. 6/59 रा.नि.म. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं.187/1 रकबा 3.910 है0 भूमि के मालिक काबिज भूमिस्वामी है।





उक्त भूमि को वह अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करना चाहता है, इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इस भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक भूमिहीन नहीं होगा क्योंकि उसके पास रकबा 2.00 हेक्टेयर भूमि सिंचित/असिंचित शेष बचेगी। इसलिये आवेदक को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 374/अ-21/2013-14 पंजीबद्ध कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी, कुण्डम जिला जबलपुर से करायी। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 से विक्रय अनुमति आवेदन-पत्र इस आधार पर अमान्य कर दिया कि आवेदक बच्चों की उच्च शिक्षा एवं शेष भूमि के उन्नति के लिये रूपयों की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति चाही गई है। जो विक्रय हेतु पर्याप्त रूप से समाधानकारक कारण नहीं है। इस आधार पर भूमि विक्रय अनुमति आवेदन पत्र निरस्त किया है, इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से उठाये गये तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में माना है कि आवेदक ने बच्चों की उच्च शिक्षा एवं शेष भूमि की उन्नति हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि की विक्रय किये जाने की अनुमति चाही गई है। जो विक्रय हेतु पर्याप्त रूप से समाधानकारक कारण नहीं है। जबकि भूमि स्वामी द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी भूमि का विक्रय किया जा सकता है। इसमें समाधानकारक कारण की कोई स्थिति ही नहीं है, भूमि विक्रय किये जाने के संबंध में विधिवत् रूप से अनुबंध पत्र किया गया है इससे आवेदक को कोई आर्थिक हानि नहीं हो रही है बल्कि आवेदक को भूमि का जो मूल्य प्राप्त हो रहा है वह वर्तमान गाईड लाईन के अनुसार से अधिक है, ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने की कृपा करें।




5- आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के अनुसार प्रकरण में यह देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं ?

1- तहसीलदार कुण्डम ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन दिनांक 19.11.2015 में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 2.00 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- तहसीलदार कुण्डम, ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।


4- आवेदक अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से




निर्धारित दर पर अनावेदक क्रमांक 1 के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 374/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को भूमि खसरा नं.187 रकबा 3.910 हैक्टेयर में से 1.910 है0 भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।


(एम.के.सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर

